प्रेस विज्ञप्ति

22.03.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर जोनल कार्यालय ने दिनांकः 6/10/2023 को माननीय विशेष न्यायालय, जयपुर, राजस्थान के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत वेद प्रकाश यादव और अन्य के मामले में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने दिनांकः 21/03/2024 को अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है।

ईडी ने एसीबी, राजस्थान पुलिस द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत वेद प्रकाश यादव, तत्कालीन संयुक्त निदेशक, सूचना प्रद्यौगिकी एवं संचार विभाग (डीओआईटी एंड सी), राजस्थान के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर जाँच शुरू की। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि डीओआईटी एंड सी की यूआईडी शाखा में फाइल स्कैनिंग कार्य के दौरान, बेसमेंट में एक अलमारी में दो बैग पाए गए जिसमें 500 और 2000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट जिसकी कुल राशि रु. 2.31 करोड़ है और 1 किलो की एक सोने की ईंट जिसकी कीमत रुपये 61.80 लाख है बरामद हुई है जो कथित तौर पर वेद प्रकाश यादव के हैं। एसीबी, जयपुर ने वेद प्रकाश यादव, तत्कालीन संयुक्त निदेशक, डीओआईटी एंड सी द्वारा 31.03.1994 से 21.05.2023 की अवधि के दौरान 3.35 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति (डीए) अर्जित करने के लिए आरोप पत्र दायर किया।

इससे पहले, इस मामले में, ईडी ने राजस्थान, नई दिल्ली और महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में 25 परिसरों/लॉकरों की तलाशी ली थी और उसके बाद 09.08.2023 को वेद प्रकाश यादव को गिरफ्तार किया था और जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।